

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक-22-4-26

संख्या-12/निजी-70341/2023 सा0प्र0-7163/श्रीमती रश्मि कुमारी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-877/24), अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पालीगंज, पटना को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-10.03.2026 से दिनांक-07.06.2026 तक कुल-90 (नब्बे) दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती कुमारी, बि0प्र0से0 को उक्त छुट्टी की स्वीकृति के उपरान्त उनके पक्ष में कुल-174-90=84 दिनों की उपार्जित छुट्टी एवं कुल-105 दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी आदेय होगी।

3. श्रीमती कुमारी, बि0प्र0से0 को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं0-5632, दिनांक-26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी के उपभोग के उपरान्त वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-12/निजी-70341/2023 सा0प्र0-7163/पटना, दिनांक-22-4-26

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग पटना के माध्यम से) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती रश्मि कुमारी, बि0प्र0से0 (को0क्र0-877/24), अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पालीगंज, पटना /आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।